कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 2765 / री.ए.डी.एम / 2021 इन्दौर, दिनांक 20–6–2021

// आदेश //

विषय :– **शासकीय एवं निजी कार्यालय, व्यवसायिक/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के 21 जून 2021 को कार्यरत कर्मचारियों को कोविड टीकाकरण महाअभियान में आधे दिन का सवैतनिक अवकाश टीका लगवाने हेतु देने बाबद्।**

––00––

विषयान्तर्गत कोविड संक्रमण महाबिमारी का एक मात्र ईलाज कोविड टीकाकरण तथा नए जन्में बच्चों से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की सुरक्षा के लिये यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 18 वर्ष की आयु से अधिक के समस्त इन्दौर के नागरिकों का शतप्रतिशत कोविड टीकाकरण हो जाए।

इस हेतु 21 जून 2021 को इन्दौर जिले में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र 1050 से अधिक कोविड टीकाकरण सेशन साईट बनाई गई है। अतः इन्दौर जिले के 18+ समस्त नागरिको से निवेदन है कि जिन लोगों ने अबतक टीकाकरण नहीं कराया है, 21 जून को स्वयं एवं परिवार के लोग का तथा अपने कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों का टीकाकरण अवश्य कराए। इस हेतु इन्दौर जिले में स्थित समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं औद्योगिक ईकाईयों के संचालकों तथा निजी कार्यालय के संचालकों से अनुरोध है कि वे अपने यहां कार्यरत समस्त व्यक्तियों को जिन्हे टीकाकरण करवाना है, उन्हे टीकाकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शर्त पर आधे दिन का सवैतनिक अवकाश देवे। इसी प्रकार शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों से अनुरोध है कि कोविड टीकाकरण महाअभियान में कार्यरत कर्मचारियों एवं उनके परिवार वालों को टीका लगवाने हेतु यह सुविधा दे। यह सुविधा इस शर्त पर दी जाए कि संबंधित व्यक्ति द्वारा 21 जून 2021 का टीकाकरण लग जानें संबंधी पुष्टि संस्थान को प्रस्तुत करेंगा।

- 18+ आयु के व्यक्तियों का शतप्रतिशत टीकाकरण होने से तीसरी लहर के आने में रोकने हेतु सहायक होगा तथा 18 से कम आयु के बच्चों को सुरक्षा देगा।

- सभी शहरवासियों से अपेक्षा है कि वे अपने यहां कार्यरत, अपने घर पर कार्यरत स्टॉफ, वाहन चालक, सिक्योरिटी गार्ड, डिलवरी बॉय, घर के अंदर आने वाले अन्य व्यक्तियों का टीकाकरण 21 जून को कोविड वैक्सीन महान अभियान में अवश्यक करा लेवे ताकि आने वाली तीसरी लहर से बचा जा सके तथा घर के बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। यह आदेश **दिनांक 20/06/2021** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

पृ०क्र०/2766/री0ए0डी0एम0/2021 इन्दौर, दिनांक 20–06–2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, झोन –1–2–3, इन्दौर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
9. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
11. एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ..., इन्दौर
12. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
13. थाना प्रभारी, थाना..जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
14. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
15. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.